न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 28/2019 जिला–सीकर।

गणपतलाल पुत्र लच्छा नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम आलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. श्रवण पुत्र बालूराम
2. कैलाश पुत्र बालूराम
3. मन्नी पत्नी झाबरमल
4. बजरंग पुत्र बालूराम
5. शिम्भू पुत्र बालूराम
6. प्रियंका पुत्री झाबरमल
7. आशा देवी पुत्री झाबरमल
8. रिंकी पुत्री झाबरमल
   समस्त जाति मीणा निवासी आलोदा तहसील दातारामगढ जिला सीकर
9. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 24.05.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेंट वरखा चारण।

निर्णय

दिनांक 07.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.05.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस् के द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम आलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया गया।
3. रेस्पोडेन्टस् के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 पारित कर प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम आलोदा का सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी हल्का अलोदा को आदेश दिये गये ।
4. न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में पटवारी हल्का अलोदा द्वारा रेस्पोडेंटस् की आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, तन ग्राम आलोदा का दिनांक 4.6.2019 को सीमाज्ञान किया गया।
5. न्यायायल तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
6. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

7. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट् संख्या 1,3,5,6 से 8 ने आराजी खसरा नम्बर 485 से 488, 1086 व 1087 कुल किता 6 रकबा 3.22 है0 के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई पत्रावली दर्ज न कर दिनांक 24.5.2019 को तहसीलदार दांतारामगढ ने आदेश प्रदान कर दिया व निर्देश प्रदान किये। तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश के तहत पटवारी हल्का अलोदा ने बिना मौके देखे ही निर्देशो की कोई पालना कर करते हुये मौका पर्चा ग्राम आलोदा के केवल खसरा नम्बर 485 से 488 का सीमाज्ञान किया व खसरा नम्बर 486 से 488 सम्पूर्ण पर अपीलांट् का कब्जा काश्त व मकानात होना कहा व रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर करवा लिये। अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिकार लैण्ड रिकार्ड आफिसर में निहित है ऐसी स्थिति में आदेश अधीनस्थ न्यायालय क्षैत्राधिकार बाहर है। पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका नक्श नही बनाया गया। मौका पर्चा पर अपीलांट् को नही बुलाया न उसके हस्ताक्षर करवाये गये। अपीलांट् अपनी खातेदारी भूमि पर काविज है एवं यदि रेस्पोडेंटस् कब्जा मानते है जो उन्हे बताना पडेगा की उनका किस खसरा नम्बर पर कितना कब्जा है। रेस्पोडेंटस् को बेदखली का दावा पेश करना चाहिये था। पटवारी हल्का द्वारा अपनी सीमाज्ञान रिपोर्ट में जो मकानात बताये गये वे अपीलांट् के है व गैर मु0 आबादी में बने है। जिसे भूप्रबंध के दौरान गलत गै0मु0 चाह बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट् को बिना नोटिस दियें व क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 24.05.2019 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

8. रेस्पोडेंटस् के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्टस् के द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम आलोदा तहसील दांतारामढ जिला सीकर का सीमाज्ञान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा रेस्पोडेंटस् द्वारा निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात ही तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेंटस् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 पारित कर प्रकरणं में आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम अलोदा का सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी हल्का अलोदा को आदेश दिये गये थे। न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में पटवारी हल्का अलोदा द्वारा रेस्पोडेंटस की आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488 तन ग्राम अलोदा की दिनांक 04.06.2019 को सीमाज्ञान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

9. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट् विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलान्ट् को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट् को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद विवादित भूमि के सीमाज्ञान कराने के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेन्टस् के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 443, 448, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम अलोदा तहसील दांतारामढ जिला सीकर का सीमाज्ञान कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488, 1086, 1087 तन ग्राम अलोदा का सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी हल्का अलोदा को आदेश दिये गये थे। पटवारी हल्का अलोदा द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2019/1085 दिनांक 24.05.2019 की पालना में खसरा नम्बर 479, 393, 497 पुख्ता चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 485, 486, 487, 488 का सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2019 को किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी सीमाज्ञान रिपोर्ट रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि मौके पर खसरा नम्बर 486, 487, 488 सम्पूर्ण पर पडौसी खातेदार का कब्जा काश्त एवं आवासीय मकान बनाकर कब्जा है।

10. हम समझते है कि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

12. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

7/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/9/2021.
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner